## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला शाहपुरा
**पीठासीन अधिकारी– श्री मुकेश कुमार मीणा आर.ए.एस.**

| प्रकरण सं0 – | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 170 / 2023 / प्रार्थना पत्र | 16.06.2023 | 06.02.2024 |

**उनवान**

रामलाल पुत्र लादु कुमावत निवासी रूपपुरा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

**बनाम**

तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा

– विपक्षी

**प्रार्थना पत्र : अन्तर्गत धारा 136 भू0रा0अधिनियम**
**बाबत नाम दुरूस्ती**

उपस्थितः– श्री अक्षयराज रेबारी :– अभिभाषक – प्रार्थी

**निर्णय**

उनवानी मामले में प्रार्थना पत्र वास्ते नाम दुरस्ती का न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का रूपपुरा के संयुक्त खातेदारी अधिकार की आराजियात आराजी नम्बर 1102 रकबा 0.10 है0, 1103 रकबा 0. 08 है0, 1108 रकबा 0.25 है0, 1110 रकबा 0.10 है0, 1111 रकबा 0.06 है0, 1112 रकबा 0.35 है0, 1117 रकबा 0.49 है0, 1164 रकबा 0.05 है0, 2427 / 1167 रकबा 0.24 है0, 805 रकबा 0.14 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 1.86 है0 इसी प्रकार खाता सं. 523 में आराजी नम्बर 509 रकबा 0.02 है0, खाता सं. 419 में आराजी नम्बर 1149 रकबा 0.03 है0 स्थित है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 1 के उप पेरा सं. अ, ब, स में वर्णित खातेदारी की आराजियात में प्रार्थी का नाम गलती से रामपाल पिता लादु कुमावत दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र लादु कुमावत है तथा प्रार्थी के आधरा कार्ड एवं राशन कार्ड एंव ग्राम तहनाल में स्थित अन्य आराजियात जिसके खातेदारी में प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र लादु कुमावत दर्ज है जिसके खाता सं0 170 आराजी नम्बर 361 रकबा 0.27 है0, 362 रकबा 0.25 है0 है। ग्राम रूपपुरा में रामपाल पुत्र लादु कुमावत नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। इस कारण उक्त दुरूस्ती किया जाना न्याय संगत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 1 के उप पैरा सं0 अ, ब, स में पैरा सं0 02 में वर्णित जमाबंदी के आधार पर रामपाल पिता लादु कुमावत के स्थान पर रामलाल पुत्र लादु कुमावत दर्ज किये जाने की कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 25.07.2023 को विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित जिन्होंने जवाब हेतु अवसर चाहा जिससे प्रकरण जवाब पेरोकार के नियत किया गया। दिनांक 10.01.2024 को प्रार्थी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र एवं रंगलाल पिता हजारी कुमावत, देबीलाल पुत्र लादुलाल कुमावत के शपथ पत्र प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये। दिनांक 06.02.2024 को पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थी का नाम रामपाल के बजाय रामलाल शुद्ध किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना लिखा गया। प्रार्थना पत्र बहस अभिभाषक प्रार्थी की सुनी गयी जिसमें अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात एवं साक्ष्य को रूप में प्रस्तुत शपथ पत्रों अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में रामपाल के बजाय रामलाल दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)

बहस मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, एवं अन्य रेकार्ड को देखा। आधार कार्ड, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम रामलाल दर्ज है। अन्य सहखातेदारान देबीलाल पुत्र लादुलाल एवं रंगलाल पुत्र हजारी कुमावत द्वारा भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर रामलाल एवं रामपाल दोनो एक ही व्यक्ति होना एवं रामलाल को बचपन में रामपाल के नाम से पुकारते थे इस कारण त्रुटिवश रामलाल के स्थान पर रामपाल दर्ज होना बताया है। अतः प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं अन्य रेकार्ड आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

**–:: आदेश ::–**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्य एक्ट स्वीका किया जाकर वाके ग्राम रूपपुरा पटवार हल्का रूपपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित खाता सं0 82 में आराजी नम्बर 1102 रकबा 0.10 है0, 1103 रकबा 0.08 है0, 1108 रकबा 0.25 है0, 1110 रकबा 0.10 है0, 1111 रकबा 0.06 है0, 1112 रकबा 0.35 है0, 1117 रकबा 0.49 है0, 1164 रकबा 0.05 है0, 2427/1167 रकबा 0.24 है0, 805 रकबा 0.14 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 1.86 है0 इसी प्रकार खाता सं. 523 में आराजी नम्बर 509 रकबा 0.02 है0, खाता सं. 419 में आराजी नम्बर 1149 रकबा 0.03 है0 में दर्ज सहखातेदार प्रार्थी का नाम रामपाल पुत्र लादू के स्थान पर रामलाल पुत्र लादू राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। शेष इद्राज यथावत रहगें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)